

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 400 / 2013

संस्थापन दिनांक 05.07.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-उदयसिंह उर्फ पप्पू पुत्र चन्द्रभान जाटव उम्र 42
साल निवासी ग्राम घमूरी थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.06.13 को 19:30 बजे मौ मेहगांव रोड अधूरी मढ़ैया के बीच रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.-30-एच.-0417 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.06.13 को फरियादी महेश अ0सा01 अपनी पुत्री मोहिनी अ0सा02 के साथ अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.डी.6928 से भिण्ड से मौ जा रहा था जैसे ही वह 09:30 बजे मौ मेहगांव रोड घमूरी भड़रा के बीच आया तो पीछे से टाटा मेटाडोर वाहन क्रमांक एम0पी0-30-एच.0417 का चालक ने तेजी व लापरवाही से मेटाडोर चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसकी लड़की मोहिनी के मुंह, होंठ व नाक में चोट आई और खून निकला तथा पीठ में चोट आई। तत्पश्चात फरियादी महेश अ0सा01 की सूचना पर थाना मौ में देहाती नालिसी प्र0पी-1 दर्ज की गयी जिस पर से अप0क्र0 86/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया है बचाव में

किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है क्या घटना दिनांक 07.06.13 को 19:30 बजे मौ मेहगांव रोड अधूरी मढ़ैया के बीच रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर सार्वजनिक स्थान पर आरोपी ने वाहन क्रमांक एम.पी.-30-एच.-0417 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सराकरण निष्कर्ष //

5. फरियादी महेश श्रीवास्तव अ0सा01 ने कथन किया है कि तीन वर्ष पूर्व माह जून में वह अपनी पुत्री मोहिनी अ0सा02 के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30एम.डी.6928 से जा रहा था तब मौ-मेहगांव रोड पर एक टाटा मेटाडोर से एक्सीडेंट हो गया जिससे मोहिनी को चोटें आई थीं। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मेटाडोर क्रमांक एम0पी0-30-एच.0417 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी पुत्री को टक्कर मार दी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी कथन प्र0पी-3 में दिए जाने से इंकार किया है।
6. आहत मोहिनी अ0सा02 ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी उदयसिंह ने मेटाडोर क्रमांक एम0पी0-30-एच.0417 को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे टक्कर मार दी थी और इस आशय के तथ्य पुलिस कथन प्र0पी-4 में उल्लिखित होने पर भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः आहत मोहिनी अ0सा02 व फरियादी महेश अ0सा01 जोकि घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, ने इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाया। उक्त साक्षी मामले में महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिनके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 07.06.13 को 19:30 बजे मौ मेहगांव रोड अधूरी मढ़ैया के बीच रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.-30-एच.-0417 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाते हुए मानव जीवन को संकटापन्न किया।
8. परिणामतः आरोपी उदयसिंह को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम.पी.-30-एच.-0417 आवेदक अशोकसिंह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0